छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक 28/5/2016.

कमांक/2038/1521/2016/32 :: भवन अनुज्ञा हेतु भवन की संरचना रूपांकन वास्तुविद्/इंजीनियर/संरचना इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक द्वारा तैयार की जाती है। यदि संरचना रूपांकन गलत है तो इस स्थिति पर वर्तमान में इनकी जिम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इनकी जिम्मेदारी के निर्धारण हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक–23, सन 1973) की धारा 73(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत प्रसारित करता हैः–

(1) संबंधित वास्तुविद्/इंजीनियर/संरचना इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक के द्वारा गलत संरचना रूपांकन प्रस्तुत करने के विरूद्ध प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि उसे कार्य से वंचित अथवा काली सूची में डाला जा सकता है अथवा छत्तीगसढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31(3) अथवा प्रचलित संबंधित विधि के अनुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी तथा यह भी कि प्रकरण के निराकरण होने तक पेशेवर नवीन प्रस्ताव जमा नहीं कर सकेंगे परन्तु इस हेतु उनको व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर स्पीकिंग आदेश पारित करेगा। उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

- 30 -D:\Baruaa-2016\bhumi vikas f-7-18.2015

क्रमांक /2038/1521/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 28/5/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव